

(15)

(19)

(66)

निर्वाचन सं० पी० टी०-४०



बिहार राजपत्र

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना ३०१४०)

१ मी० १९२८ (सं०)

पटना, शुक्रवार २२ दिसम्बर २००६

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

२२ दिसम्बर २००६

सं० ई२-४३/२००३-४९—बिहार निर्वाचन सेवा नियमवली, २००६ को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से;

सुधीर कुमार राकेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

—सह-सरकार के सचिव।

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

अधिसूचनाएँ

22 दिसम्बर, 2006

सं०-ई2-43/2003-49-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग में भर्ती एवं सेवा विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली "बिहार निर्वाचन सेवा नि 2006" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली, अधिसूचना द्वारा, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी

2. परिभाषाएँ। - जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार-सरकार;

(ख) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(ग) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(घ) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(ङ) 'सेवा' से अभिप्रेत है 'बिहार निर्वाचन सेवा';

(च) 'सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस सेवा के किसी प

मौलिक या अस्थायी रूप से इस नियमावली के उपबंधों के अधीन की गई हो, और

इस नियमावली के नियम-4 के अधीन नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(छ) 'सरकारी सेवा' से अभिप्रेत है बिहार-सरकार के अधीन सेवा;

(ज) 'विभाग' से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, बिहार-सरकार।

3. प्राप्ति। - बिहार निर्वाचन सेवा राज्य सेवा होगी।

4. संवर्ग की संरचना। - (1) इस सेवा में पद सोपान निम्नानुसार होंगे:-

(1) पदनाम

(क) अपर निर्वाचन पदाधिकारी

(ख) उप निर्वाचन पदाधिकारी

(ग) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

(2) संदर्भ-बल

अवर निर्वाचन पदाधिकारी:-

(क) प्रत्येक अनुमंडल में अवर निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद अनुमंडल स्तर पर होगा।

(ख) अवर निर्वाचन पदाधिकारी के चार पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होंगे, जिनमें से एक पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सचिव के रूप में चिह्नित रहेंगा।

उप निर्वाचन पदाधिकारी:-

(ग) जिला स्तर पर प्रत्येक ऐसे जिला में, जहां एक से अधिक अनुमंडल या तीन या तीन से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हों, में उप निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद होगा।

(घ) उप निर्वाचन पदाधिकारी के दो पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में होंगे।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी:- (ङ) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तीन पद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में होंगे।

(3) संदर्भ नियमावली के अनुसार पदों का रूजन एवं रखरखाव किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार सरकार, समय-समय पर, संवर्ग बल विनिरिचित कर सकेगी।

(4) वेतनमान:- बिहार निर्वाचन सेवा के पदों का वेतनमान निम्नालिखित होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित किए जा सकेंगे:-

पदनाम

वेतनमान

(क) अवर निर्वाचन पदाधिकारी

₹ 6500-200-10500

(ख) उप निर्वाचन पदाधिकारी

₹ 10000-325-15200

(ग) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

₹ 12000-375-16500

भाग-2

भर्ती

5. भर्ती के स्केल। - (1) बिहार निर्वाचन सेवा का मूल पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी का होगा। किसी वर्ष में विद्यमान रिक्तियों के 75 प्रतिशत पद स्वीची भर्ती द्वारा तथा उक्त रिक्ति का 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी।

(2) उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदों का 75 प्रतिशत पद अवर निर्वाचन पदाधिकारी की प्रोन्नति के द्वारा भरी जायेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी के 25 प्रतिशत पद बिहार प्रशासनिक सेवा के

कनीय प्रवर कोटि के लिए निश्चित किये जायेंगे तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के कनीय प्रवर कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी/अवर सचिव पंक्ति) की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(3) प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सहायक पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा और शेष उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दो पद उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भरे जायेंगे।

(4) भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण एवं रोस्टर नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6. रिक्तियों का विनिश्चय। - विभाग प्रतिवर्ष 31वीं मार्च तक सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का विनिश्चित करेगा तथा आयोग को कोटिवार अधियाचना भेजेगा।

7. रिक्तियों का भरा जाना। - (1) नियम-6 के अधीन रहते हुए, विभाग संयुक्त एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले मूल कोटि के पदों की संख्या आयोग को संसूचित करेगा।

(2) रिक्तियों को भरने हेतु आयोग परीक्षाओं का संचालन करेगा और परीक्षा के लिए उम्र सीमा न्यूनतम अर्हताएँ पाठ्यक्रम वहीं रहेंगे जो सरकार द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये विनिश्चित किये गये हों।

(3) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ 5000-8000/- रु० से अत्यून वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समूह 'ग' के कर्मियों द्वारा भरी जायेगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का विनिश्चय आयोग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. सेवा में नियुक्ति। - (1) प्रतियोगिता परीक्षा के पश्चात् आयोग द्वारा तैयार की गई एवं अनुशंसित सूची के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

(2) आयोग द्वारा प्रेषित सेवा सूची की वैधता एक वर्ष के लिए होगी तथा एक वर्ष के बाद उस सूची से कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

भाग-3

सेवा की अन्य शर्तें

9. परिवीक्षा। - (1) सेवा के मूल पद पर नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा पर होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि में, प्रत्येक पदाधिकारी से विभागीय परीक्षाओं या जाँच में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण नहीं करें अथवा परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका कार्य एवं कर्तव्य अनुपालन यदि असंतोषप्रद पाया जाये या कार्य के योग्य न हो तब उसकी सेवा समाप्त या अवक्रमित की जा सकेगी। फिर भी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि का विस्तार करने हेतु सरकार को विवेकाधिकार होगा।

(4) परीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर, पदाधिकारी की सेवा को तभी संपुष्ट किया जा सकता यदि उसने नियम 10 में उपबंधित रूप में प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो तथा सरकार विनिश्चय करे कि वह संपुष्ट के योग्य है।

10. प्रशिक्षण।— इस सेवा में नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारियों को छः माह का गहन प्रशिक्षण निम्न रूप में विभिन्न चरणों में दिया जाएगा:—

- (क) बिहार प्रशासनिक संस्थान में तीन माह का गहन प्रशिक्षण;
- (ख) पन्द्रह दिनों का भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में प्रशिक्षण;
- (ग) पैंतालीस दिनों का जिला एवं अनुमंडल कार्यालयों में सरकारी कार्य संचालन में प्रशिक्षण;
- (घ) मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, बिहार, पटना में एक माह का प्रशिक्षण।

11. विभागीय परीक्षा।— पद पर संपुष्ट के पूर्व, प्रत्येक पदाधिकारी को सरकार द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

12. विभागीय परीक्षा के विषय।— विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे:—

(i) हिन्दी-हिन्दी परीक्षा के संबंध में सरकार का विनिश्चय एवं निदेश इस सेवा पर भी लागू होंगे;

(ii) लेखा;

(iii) निर्वाचन;

(iv) (क) लेखा-और निर्वाचन के विषय के लिए पाठ्यक्रम मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पदाधिकारियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 60% (साठ प्रतिशत) अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) वैसे पदाधिकारियों को, जिन्होंने पूर्व में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, और सेवा में संपुष्ट कर दिये गये हों, इस नियम में यथा उपबंधित परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त होगी।

13. सेवा-संपुष्ट।— (1) वैसे पदाधिकारियों की सेवा, जिन्होंने परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरी कर ली हो तथा जिन्होंने विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो, परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की तिथि अथवा परीक्षा अवधि पूरा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से सेवा में सम्पुष्ट की जायेगी।

(2) कोई भी पदाधिकारी प्रोन्नति हेतु तबतक योग्य नहीं समझा जायेगा जबतक वह सेवा में सम्पुष्ट न हो जाय।

भाग-4

प्रोन्नति

14. इस सेवा में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कोटे के अनुसार चयन, इस नियमावली के अधीन बिहार निर्वाचन सेवा के योग्य पदाधिकारियों के बीच से योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति

Handwritten notes and markings at the top left of the page, including circled numbers 14, 10, 7, 4, 1, and 83, and a signature.

- समिति की अनुशंसा पर, किया जायेगा। समय-समय पर प्रोन्नति के विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक गुणार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना का अनुपालन किया जायेगा।
15. उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक अवधि वही होगी, जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाए।
16. निम्नतर कोटि के पद से उच्चतर कोटि के पद पर प्रोन्नति होने पर ऐसे प्रोन्नत पदाधिकारी का वेतन निर्धारण उस समय लागू सरकारी नियमावली एवं विनियमावली के अनुसार किया जायेगा।
17. वैसे सभी मामलों एवं परिस्थितियों के लिए जहाँ कोई नियम नहीं बनाया गया हो, वहाँ बिहार सरकार द्वारा अधिकथित नियमावली एवं विनियमावली लागू रहेंगी।
18. निरसन एवं व्यावृत्ति। - (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित समय-समय पर निर्गत सभी नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) इस निरसन के होते हुए भी, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रवृत्त सभी पूर्वोक्त नियमावली संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के तत्स्थानी प्रावधानों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
मुख्य निर्वाचन प्रदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

Cabinet (Election) Department

NOTIFICATION

The 22nd December 2006.

No E2 13/2003-19 In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulation of recruitment and service conditions of the Bihar Election Service --

Part - I

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the Bihar Election Service Rule-2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette by notification

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Government" means the Government of Bihar;

(b) "Governor" means the Governor of Bihar;

(c) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;

(d) "State" means the State of Bihar;

(e) "Service" means Bihar Election Service;

(f) "Member of the Service" means a person who has been appointed in the service against the basic post or appointed temporarily against any post under the provisions of these rules and it includes a person appointed and working under rule-4 of these rules;

(g) "Government Service" means the Service under the Government of Bihar;

(h) "Department" means Cabinet (Election) Department of the Govt. of Bihar.

3. Status- The Bihar Election Service shall be a state service.

4. Cadre structure- Hierarchy in this service shall be as follows.

(1) Name of the Posts

(a) Sub Election Officer

(b) Deputy Election Officer

(c) Deputy Chief Electoral Officer

(2) Cadre StrengthSub-Election Officer :

(a) There shall be one post of Sub-Election Officer in each Sub Division at Sub-Divisional level.

(b) Four Posts of Sub-Election Officers shall be at the office of the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna out of which one post shall be earmarked as Secretary to the Chief Electoral Officer, Bihar.

Deputy Election Officer:

(c) At district level, there shall be one post of Deputy Election Officer in each such district which has more than one Sub Division or three or more than three Legislative Assembly Constituencies.

(d) Two posts of Deputy Election Officer shall be at the office of the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.

Deputy Chief Electoral Officer:

(e) Three posts of Deputy Chief Electoral Officer shall be at the office of the Chief Electoral Officer, Bihar, Patna.

(3) Posts may be created and upgraded according to cadre rules. The government may decide cadre strength from time to time as per needs.

(4) Pay Scale - The following shall be the pay scales of the posts in Bihar Election Service, which may be revised from time to time by the State Government.

<u>Name of the Posts</u>	<u>Pay Scale</u>
(a) Sub- Election Officer:-	6500-200-10500
(b) Deputy Election Officer:-	10000-325-15200
(c) Deputy Chief Electoral Officer:-	12000-375-16500

Part - 2
Recruitment

5. Source of recruitment - (1) The basic post of Bihar Election Service shall be of Sub Election Officer. 75% of the existing vacancies in any year shall be filled up by direct recruitment and 25% of the vacancies shall be filled up through limited competitive examination.

(2) 75% of the posts of Deputy Election Officer shall be filled up by promotion of Sub Election Officers. 25% of posts of Deputy Election Officer shall be earmarked for junior selection grade of Bihar Administrative Service and shall be filled up by promotion of junior selection grade (Sub-Divisional Officers/Under Secretary rank) of Bihar Administrative Service.

(3) One post of Deputy Chief Electoral Officer shall be filled up by officer of the rank of Additional Collector and the remaining two posts of Deputy Chief Electoral Officer shall be filled up by promotion of Deputy Election Officers.

(4) In recruitment and promotion rules of reservation and roster shall be followed.

6. Determination of Vacancies- The department shall determine the number of vacancies to be filled through direct recruitment by 31st of March every year and shall send category-wise requisition to the Commission.

7. Filling up of Vacancies-(1) subject to rule-6 the department shall inform the commission the number of basic grade posts to be filled up by combined and limited competitive examinations.

(2) The Commission shall conduct the examinations to fill up the vacancies; and the age limit, minimum qualifications and syllabus for the examination shall be the same, as decided by the Government for combined competitive examination.

(3) The vacancies to be filled up by limited competitive examination shall be filled up by those group "C" employees of the State Government working in the pay scale of not less than Rs. 5000-8000. The syllabus for limited examination shall be decided by the department in consultation with the Commission.

8. Appointment in the Service-(1) The appointment shall be made on the basis of list prepared and recommended by the Commission after competitive examination.

(2) The merit list sent by the Commission shall be valid for one year and no appointment shall be made from that list after one year.

PART-3

Other Conditions of the Service

9. Probation:(1) The appointment on the basic post of the service shall be on probation of two years.

(18) (7) 243 1306

- (2) Every officer shall be required to pass the departmental examinations or tests during the probation period.
- (3) if the probationer does not complete the probation period satisfactorily or if during the period of probation his performance of the work and duties is found to be unsatisfactory or not suitable to job, his service shall be terminated or reverted. However the Govt. shall have discretion to extend the period of probation for a period not exceeding one year.
- (4) After completion of probation period, the service of officers shall be confirmed only if he/she has obtained training as provided under Rule 10 and has passed the prescribed Departmental Examination and the Government decides that he/she is fit for confirmation.

10. Training- The officers appointed in this service will be given intensive training for six months in different phases as follows:-

- (a) Three months intensive training at Bihar Administrative Training Institute;
- (b) Fifteen days training at Election Commission of India, New Delhi;
- (c) Forty five days training at district and sub divisional offices in conduct of official business;
- (d) One month training at Cabinet (Election) Department, Bihar, Patna.

11. Departmental Examination:

Every officer shall have to pass the departmental examination conducted by the government before being confirmed on the post

12. Subjects for departmental examination- The following shall be the subjects for the Departmental Examination :-

- (i) Hindi - The decisions and directions of the government with regard to Hindi examination shall also be applicable to this service

(ii) Accounts

(iii) English

(iv) (a) The syllabus for the subjects of accounts and election shall be decided by Cabinet (Election) Department. The Officers shall have to obtain at least 60% (sixty Percent) marks in each subject to pass the examination.

(b) Those officers who have already cleared the departmental examination and have been confirmed shall be exempted from appearing in the examination as provided in this rule.

13. Confirmation of Service:-

(1) Services of the officers, who have completed probation period satisfactorily and who have passed the departmental examination, shall be confirmed in service from the date of passing the examination or from the date of completion of probation period, whichever is later.

(2) No officer shall be considered fit for promotion unless his/her services are confirmed.

Part-4

PROMOTION

14. The selection for promotion to higher posts as per quota in the service shall be made from the eligible officers of Bihar Election Service under these rules on the basis of merit-cum-seniority on the recommendation of Departmental Promotion Committee. The resolutions, circulars and notifications issued on the subject of promotion by the Department of Personnel and Administrative Reforms, from time to time, shall be followed.

15. The minimum qualifying period for promotion to higher posts shall be same as decided by Personnel and Administrative Reforms Department, from time to time.

16. Fixation of pay after promotion:- On promotion from lower grade post to higher grade post, the fixation of pay of such promoted officer shall be made according to the prevalent rules and regulations of the government at that time.

17. For all such cases and situations, where no rule has been framed, the rules and regulations laid down by the Government shall be applicable.

18. Repeal & Savings - (1) All rules, resolutions, orders and instructions relating to appointment and promotion of Sub Election Officers, issued from time to time prior to coming into force of these rules are hereby repealed.

(70)
(301)
(248)
(4)
(15)

(387)

12

मिस्टर वरद (प्रशासन) 22 दिसम्बर 2008

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid rules, resolutions, orders and instructions prior to coming into force of these rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SUDHIR KUMAR RAKESH,
Chief Electoral Officer, Bihar
Joint Secretary to the Government.

प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि
यह अधिसूचना, बिहार, प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों को सूचित
किए गए (प्रशासन) 22 दिसम्बर 2008, अधिसूचना